



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं. NCST/DEV-1927/MH/94/2023-RO-BH

दिनांक: 15.07.2024

सेवा में,

श्री भाउदास चैतराम उईके,
शिवगंगा अपार्टमेंट, फ्लैट नं. 403,
विठ्ठल रूखमनी मंदिर के सामने,
पो. बेसा बेलतरोडी,
जिला-नागपुर (महाराष्ट्र)-
फोन नं. 9665809280

विषय: श्री भाउदास चैतराम उईके, शिवगंगा अपार्टमेंट, फ्लैट नं.403, विठ्ठल रूखमनी मंदिर के सामने, पो. बेसा बेलतरोडी, जिला-नागपुर (महाराष्ट्र)-आवेदक के प्लॉट पर जाने हेतु रास्ता प्रदान नहीं करने के सम्बंध में दिनांक 16.06.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य (श्री जाटोतु हुसैन) ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 23.07.2024 को अपराह्न 02:40 बजे आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में बैठक तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

सूरत सिंह

(सूरत सिंह)
निदेशक

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीय सदस्य महोदय (जा. हु.) के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।